

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

**Rule 4 : Effective date for composition levy**

- (1) The option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the financial year, where the intimation is filed under sub-rule (3) of rule 3 and the appointed day where intimation is filed under sub-rule (1) of the said rule.
- (2) The intimation under sub-rule (2) of rule 3, shall be considered only after the grant of registration to the applicant and his option to pay tax under section 10 shall be effective from the date fixed under sub-rule (2) or (3) of rule 10.

—————

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 4 : संयुक्त उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख**

- (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प उस वित्तीय वर्ष, जब नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है और वह नियत दिन जब उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, आरंभ से प्रभावी होगा।
  - (2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा।
-